खंड-II

निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीबी)

अ. महत्वपूर्ण तिथियां / सामान्य जानकारी

क्रमाक	जानकारी	विवरण
1.	संक्षिप्त विवरण	बफरजोन वनमण्डल में किये जाने वाले .फेसिंग कार्यों के लिए आयरन पोल क्रय करने हेतु दरों की निविदा
2.	ई– निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	1775 दिनांक 12.06.2025
3.	निविदा शुल्क /निविदा दस्तावेज की लागत	5000/– प्रोसेसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित)
4.	सत्यांकार निधि	245000/– रू. एक दो लाख पैतालीस हजार मात्र
5.	निविदा प्रस्ताव की वैधता	अनुबंध संपादन की तिथी से एक वर्ष तक
6.	निष्पादन सुरक्षा	245000/–
7.	अनुमानित निविदा मूल्य	8500000/–
8.	निविदा पूर्व बैठक की तिथि और समय	(पोर्टल पर शेडयूल देखें)
9.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि (अंतिम तिथि)	(पोर्टल पर शेडयूल देखें)
10.	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	(पोर्टल पर शेडयूल देखें)
11.	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	(पोर्टल पर शेडयूल देखें)
12.	जमा करने का प्रकार	ऑनलाइन जमा https://mptenders.gov.in/पर करें

1. निविदा की स्वीकृती दरों की वैधता सफल निविदाकार और उप संचालक बफरजोन वनमण्डल के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 (नब्बे दिवस) दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
2. निविदा में उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा सफल निविदाकार और उप संचालक बफरजोन वनमण्डल के बीच आपसी सहमति के अधीन बढाई जा सकती है।
3. उप संचालक बफरजोन वनमण्डल कान्हा टाइगर रिजर्व (निविदाकार) किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) प्रकिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्वता नहीं करता हैं कि इस प्रकिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर0एफ0पी0) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रकिया में निविदाकर्ता निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालांकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण, बताए इस प्रकिया को समाप्त कर सकता है।

4. **प्रति निविदाकार एक निविदाः**

4.1 निविदाकार एक व्यक्तिगत इकाई या संयुक्त उद्‌यम हो सकता है। संयुक्त उद्‌यम की आवश्यकता अनुलग्नक 6 में दी गई है।

4.2 कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग-अलग एक से अधिक निविदायें प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा। यदि वह ऐसा करता हैए तो निविदाकार द्वारा भाग ली गई सभी निविदायें अयोग्य मानी जाएँगी।

5. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्चे वहन करना होगाए और इसके लिए सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।

6. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि यह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस-पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें। इस संबंध में सभी खर्चे निविदाकार को वहन करना होगा ।

7. निविदाकार को निविदा में प्रस्तुत सामग्री का सेम्पल एम पी टेण्डर पोर्टल पर दर्शित निविदा खुलने की तिथी से दो दिवस पूर्व कार्यालयीन समय में जमा कराया जाना आवश्यक होगा ताकि सामग्री भोतिक रूप से तकनीकी अभिलेखों में दर्शित शर्त अनुसार है या नंही परीक्षण किया जा सके ।

8. सामग्री के सेम्पल का मान्यता प्राप्त एन ए बी एल प्रयोगशाला से परीक्षण इस निविदा विज्ञप्ति के पोर्टल पर प्रकाशित होने की तिथी के पश्चात तथा निविदा पोर्टल पर दर्शित निविदा खुलने की तिथी से दो दिवस पूर्व वनमण्डल कार्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक होगा प्राप्त पावती की स्केन प्रति को अन्य अभिलेखों के साथ निविदा अभिलेख के फोल्डर में दर्शाया जावेगा । दर्शित शर्तो के पालन न करने से प्रथक निविदा प्रस्ताव पर विचार नंही किया जावेगा ।

उप सचांलक,
बफरजोन वनमण्डल,
कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला

वर्ष 2025–26 के लिए साम्रगी प्रदाय करने हेतु निविदा की शर्तें
उप संचालक बफर जोन वन मण्डल

1. ऑनलाईन निविदा डालने हेतु सत्यंकार की राशि रू. 245000/– (एक दो लाख पैतालीस हजार मात्र) आनलाईन जमा करनी होगी। सत्यंकार राशि के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुबंध तिथी से एक वर्ष तक रहेगी जो सफल निविदाकार और वन मंडल अधिकारी उप संचालक बफरजोन वनमण्डल के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
3. सफल निविदाकार को खण्ड V में उल्लेखित तालिका अनुसार निष्पादन प्रतिभूति (performance Guarantee) की राशि की एफ.डी.आर. जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी की गयी हो एवं उप संचालक बफरजोन वनमंडल के नाम से हो, जमा करना अनिवार्य होगा।
4. सफल निविदाकार द्वारा अनुंबध करने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में साम्रगी प्रदाय न करने अथवा प्रदाय साम्रगी की गुणवत्ता निर्धारित मानक (जो कि उप संचालक या उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जॉची जावेगी) न होने की स्थिति में उप सचांलक बफर जोन वनमण्डल द्वारा सफल निविदाकार की निविदा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है, एवं निष्पादन प्रतिभूति (performance Guarantee) की राशि जप्त की जावेगी तथा फर्म को 3 वर्ष के लिए कालीसूची में दर्ज किया जावेगा, इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकार से की जावेगी। ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार उप सचांलक बफर जोन वनमण्डल के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।
5. निविदाकार को निविदा खुलने की तिथी से दो दिवस पूर्व संबधित प्रदायकर्ता जिसके द्वारा निविदा में सहभागिता की गई है, आयरन पोल का 3 मीटर लंबाई का सेम्पल जिसे रेड आक्साइल प्राइमर की दो परत से रंगा गया हो साथ ही सलग्न पर्ची जिसमें निविदाकार की फर्म का नाम अकिंत हो कार्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक होगा । आयरन पोल का गुणवत्ता परीक्षण स्वतंत्र एजेन्सी/एन.ए.बी.एल.मान्यता प्राप्त लैब से संबधित निविदाकार द्वारा पोर्टल पर निविदा विज्ञप्ति जारी होने की तिथी से पश्चातवर्ती तिथी में तैयार कर निविदा अभिलेखों में एवं सेम्पल के साथ लगाना अनिवार्य होगा । सेम्पल एवं गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त न होने की स्थिति में पोर्टल पर प्राप्त निविदा प्रस्ताव पर विचार नंही किया जावेगा । प्रस्तुत सामग्री की पावती भी निविदा अभिलेखों के रूप में अपलोड की जावेगी ।
6. निविदा प्रकिृया पूर्ण होने उपरांत सफल निविदाकार द्वारा प्रदाय की गई सामग्री का विभाग द्वारा मौका स्थल पर सेम्पल प्राप्त कर विभागीय स्तर से एन.ए.बी.एल.अनुमोदित प्रयोगशाला अथवा अन्य सक्षम एजेन्सी से गुणवत्ता परीक्षण कराया जावेगा इस परीक्षण की राशि संबधित निविदाकार के भुगतान से कटौती योग्य होगी । इस गुणत्ता परीक्षण में प्राप्त परिणाम निविदा सूचना पत्र की माप अनुसार नंही पाये जाने पर प्राप्त सामग्री को अस्वीकार कर संबधित को मौका स्थल से निर्धारित 3 दिवस में सामग्री स्वयं के व्यय पर वापिस उठाना होगा ।
7. प्रत्येक साम्रगी /item के लिए सफल निविदाकार का चयन न्यूनतम दर L1 के आधार पर किया जावेगा। साम्रगी की मांग अनुसार साम्रगी के प्रदाय आदेश L1 को जारी किये जावेगें। यदि L1 फर्म के द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्धारित गुणवत्ता एवं .मात्रा में संबधित स्थलों पर साम्रगी प्रदाय नहीं की जाती है तो निविदाकार अन्य स्त्रोत से सामग्री कय किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा अपितु अन्य स्त्रोत से क्रय सामग्री की दरें निविदा दरों से अधिक पाये जाने पर अंतर की राशि संबधित निविदाकर्ता के द्वारा जमा सुरक्षा निधि की राशि से वसूल की जावेगी ।
8. बफरजोन वनमण्डल कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला के अंतर्गत मण्डला एवं बालाघाट जिले के प्रबंध क्षेत्र में सामग्री का प्रदाय किया जाना है । स्थल की सूची सलग्न है इसके लिये अनुलग्नक 3 हस्ताक्षरित कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है ।
9. प्रदाय की जाने वाले मात्रा अनुमानित है, इसमें घट–बढ़ हो सकती है, जिसके लिये निविदाकार द्वारा भविष्य में कोई आपत्ति नहीं ली जावेगी। भुगतान साम्रगी की वास्तविक प्राप्त मात्रा के आधार पर किया जावेगा।
10. भुगतान राशि से नियमानुसार समस्त देय करों की कटौती की जावेगी।
11. साम्रगी का प्रदाय, आदेश जारी होने की तिथि से 07 दिवस के अंदर आदेशित स्थल तक परिवहन करना होगा।
12. प्रदाय स्थल पर साम्रगी को ऐसा रखा जावे, जिसमें मापन मे सुविधा हो।
13. निविदा दर स्वीकृत होने पर 500/– रू. के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जाना होगा।
14. जो निविदा मान्य नहीं होगी, उनकी सत्यंकार की राशि शीघ्रातिशीघ्र लौटा दी जावेगी।

15. स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गयी सत्यंकार की राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

16. साम्रगी की गुणवत्ता का परीक्षण संबधित सहायक संचालक द्वारा निविदा प्रकाशन में उल्लेखित मापदण्डों के आधार पर किया जावेगा ।

17. वनमंडल अधिकारी उप संचालक बफर जोन वनमंडल को निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

18. निविदा विषयक विवाद में अंतिम निर्णय, उप संचालक बफरजोन वनमंडल का होगा।

19. किसी भी तरह के विवाद के लिये न्यायालय क्षेत्र मण्डला न्यायालय के अंतर्गत ही रहेगा।

20. निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देशों और शर्तों की सावधानी पूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है ऐसा ना करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

21. सत्यंकार निधि जब्त करने और निविदा को किसी भी प्रक्रिया पर अस्वीकार या निरस्त करने के संबंध में अंतिम निर्णय निविदा आमंत्रणकर्ता अधिकारी का होगा और किसी भी परिस्थिति मे उस पर सवाल नही उठाया जाएगा।

22. निविदा मूल्य में लोडिंग, परिवहन, अनलोडिंग और स्टैकिंग (यदि आवश्यक हो) की अनुमानित लागत शामिल होगी। निविदाकार उप संचालक द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री के परिवहन के लिए उत्तरदायी होगें जो कि वन मंडल की भौगोलिक सीमा तक होगी। निविदा मूल्य में जीएसटी, अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होगें और यह भारतीय रूपये में होगा।

23. इस निविदा सूचना में जिन प्रावधानों का उल्लेख नंही किया गया है उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार उप संचालक बफरजोन वनमण्डल का.टा.रि.मण्डला का होगा ।

24. निविदाकार को अपनी व्यक्तिगत/फर्म की समस्त जानकारी प्रपत्र ए1 एवं अनुलग्नक 2 में दर्ज कर अपलोड करना अनिवार्य होगा ।

25. स्वीकृत निविदाकार को प्रदाय आदेश व्हाट्स एप अथवा मेल से प्रेषित किये जावेगें ।

26. निविदाकार को निविदा प्रकृिया में तैयार किये जाने वाले अभिलेख हेतु विभाग किसी प्रकार के भुगतान का भागी नंही होगा ।

27. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत,करने से जुड़े सभी खर्चे वहन करना होगा, और इसके लिए सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।

28. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वनमण्डल के भोगोलिक क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण करें, तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें। इस संबध में सभी खर्चे निविदाकार को वहन करना होगा।

32. उपरोक्तानुसार शर्त कमांक 01 से 28 तक किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थति में निष्पादन प्रतिभूति की राशि राजसात की जावेगी तथा फर्म को प्रकरण की गंभीरता के अनुसार 1 से 3 वर्ष के लिए काली सूची में दर्ज किया जावेगा । कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग–अलग एक से अधिक निविदायें प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा। यदि वह ऐसा करता है, तो निविदाकार द्वारा भाग ली गई सभी निविदायें अयोग्य मानी जॉएगी।

उप संचालक,
बफर जोन वनमण्डल
कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला

ई–अन्य नियम और शर्तें

34. निविदाकर्ता या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी नमूना या इच्छिक रूप से चुन सकता है और प्रयोगशाला में परीक्षण करवा सकता है। सामग्री का परीक्षण सक्षम तकनीकि संस्थान से कराने पर यदि सामग्री की गुणवत्ता घटिया पाई जाती है, तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, निष्पादन सुरक्षा जब्त की जा सकती है। और आपूर्तिकर्ता को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

35. निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है यदि वे निविदा दस्तावेज , नियम और शर्तो और शुद्विपत्र (यदि कोइ हो) में मांगे गए किसी भी प्रमाण पत्र /दस्तावेज को अपलोड नहीं करते हैं।

36 यदि निविदा की वैधता अवधि के भीतर यह पाया जाता हैं। कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत /अपलोड किए गए दस्तावेजों में से कोई या कुछ झूठे या धोखाधड़ी वाले है। तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता हैं ऐसे मामले में निविदाकार का समझौता रद किया जा सकता है। जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकर की राशि (ईएमडी) और निष्पादन का सुरक्षा जमा जब्त की जा सकती है।

37. सामग्रियों की आपूर्ति के संबध में, सामग्री को वैध स्त्रोत से खरीदा जाना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए निविदाकर्ता की ओर से अधिकृत अधिकारी निविदाकार से इस संबंध में आवश्यकत दस्तावेज/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है । यदि निविदाकार ऐसा करने में विफल रहता है, तो आपूर्ति की गई सामग्री का हिसाब नही दिया जाएगा और इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

उप संचालक,
बफर जोन वनमण्डल
कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला

(अ) अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर

1 सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करनी होगी और स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर अनुंबध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध समझौते का प्रारूप अनुलग्नक 7 मे दिया गया है।

2 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर को साम्रगी की आपूर्ति शुरू होने की सूचना के रूप में माना जाएगा। काम शुरू करने के लिए निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को आम तौर पर कोई अलग आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

3 सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने या अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करनें में विफल रहने में स्थिति में, निविदाकार के खिलाफ कारवाई करने के लिए निविदकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी सत्यांकर की राशि (ईमडी) जब्त कर ली जाएगी।

4. निविदाकर्ता , इस अनुबंध और लागू कानून के तहत किसी भी अन्य उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सफल निविदाकार को चूक का कारण बताते हुए 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं और जैसा वह उचित समझे अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है और निविदाकार को काली सूची में डाल सकता हैं।

5. अुनबंध भारत में प्रचलित और लागू कानूनों द्वारा निर्धारित कानूनों और प्रतिक्रियाओं द्वारा शामिल होगा ,ऐसे वाणिज्यिक लेनदेन/प्रसंस्करण के संबंध में समय–समय पर लागू कानून और अधिनियम के ढांचे के भीतर । सभी कानूनी विवाद केवल मध्यप्रदेश के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगां।

उप संचालक
बफरजोन वनमण्डल
कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला

(ब) निविदा दस्तावेज

1. निविदाकारों को अपनी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

I. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र
II. पैन कार्ड
III. पिछले 3 वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न
IV. 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर पूरा अनुलग्नक –1
V. पूरा अनुलग्नक –2
VI. पूरा अनुलग्नक –3
VII. सी.ए. प्रमाणित टर्न ओवर प्रमाणपत्र
VIII. दुकानें ओर प्रतिष्ठान पंजीकरण
IX. 'एम.एस.ई. प्रमाणपत्र यदि ई.एम.डी. छूट मांगी गई है'
X. 'स्टार्टअप इंडिया प्रमाणपत्र' यदि वार्षिक औसत टर्नओवर/और पिछले अनुभव से छूट मांगी गई है।
XI. एगिंल आयरन पोल के गुणवत्ता परीक्षण एन.ए.बी.एल.से मान्यता प्राप्त लेब से कराकर प्राप्त रिपोर्ट एवं पावती की प्रति

(अनुलग्नक 4–खंड (I) और (II)

2 . सत्यांकार निधि (ईएमडी)

2.1 सत्यांकर निधि की गणना मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा सशोधित –2022) के नियम 14 के अनुरूप की जानी है।
2.2 सत्यांकर निधि, निविदा भुल्क/निविदा दस्तावेज का मूल्य और प्रसंस्करण भुल्क ई–खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाएगा। ऑफलाइन जमा करना मान्य नहीं होगां (उपर्युक्त नियमों के खंड़ 14.1 के अनुसार)
2.3 सफल सत्यांकर निधि जमा करने की रसीद की स्कैन की गई प्रति निविदा के साथ भामिल की जानी चाहिए।
2.4 असफल निविदाकारों की सत्यांकर निधि यथा शीघ्र वापस कर दी जाएगीं (उपर्युक्त नियमों के खंड़ 14.2 के अनुसार)
2.5 सत्यांकर निधि जब्त की जा सकती है:
2.6 यदि निविदाकार निविदा वैधता अवधि या इसकी विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान अपनी निविदा वापस ले लेता हैं या उद्धृत मूल्य में वृद्धि करता है।
या

निविदा प्रक्रिया के दौरान, यदि निविदाकार जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता है। जिससे निविदा के मूल्यांकन और निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जोखिम या अनावश्यक रूप से देरी हो,
या

सफल निविदाकार के मामले में, यदि निविदाकार ,निविदाकर्ता द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर निशपादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है।,
या

निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि निविदा में कोई जानकारी गलत/हेरफेर /छिपी हुई पाई जाती है।
2.7 सत्यांकर निधि जब्त करने और निविदा को अस्वीकार करने के संबंध में निविदाकर्ता का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
2.8 संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से तीन –कवर प्रणाली में ऑनलाइन होगी। इस निविदा सूचना के संबंध में सभी अधिसूचनाएं और विस्तृत नियम एवं भार्तें वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाि ात की जाएंगी।
2.9 निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने और निविदाओं का ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया के लिए दिशा–निर्देश पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते है
3.0 कोई भी संभावित निविदाकार निविदा पूर्व बैठक से पहले या उसके दौरान लिखित रूप में अपने प्रश्न उठा सकता है अथवा स्पस्टीकरण मांग सकता है । ऐसी बैठक का उद्येश्य मुद्दों को स्पस्ट करना और उस चरण में उठाए जाने वाले किसी भी मामले पर सवालों के जबाब देना है । निविदाकर्ता अपने विकल्प पर ऐसे स्पस्टीकरण दे सकता है जो उसे आवश्यक लगे ।

उप संचालक
बफरजोन वनमण्डल
कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला

बफरजोन वनमण्डल
कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला

अनुलग्नक–1

प्रारूपः– स्वघोषणा

काली सूची में दर्ज नंही होने संबधित प्रमाण पत्र

रू. 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है ।

दिनांक /04/2025

सेवा में

उप संचालक,
बफरजोन वनमण्डल
कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला

महोदय/महोदया,

दिनांक .... के निविदा संदर्भ संख्या .... के प्रत्युत्तर में ....के स्वामी /भागीदार /निदेशक के रूप में , मै/हम घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म .... का रिकार्ड बेदाग है तथा उसके किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चित काल के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए भ्रष्ट और धोखाधड़ी पूर्ण कार्यो के लिए अयोग्य घोषित नंही किया गया है ।

हम आगे घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म .... निविदा प्रस्तुत करने की तिथी पर किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और धोखाधड़ी पूर्ण व्यव्हार के अलावा अन्य कारणों से काली सूची में नंही डाली गई है और न ही अयोग्य घोषित की गई है ।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति पूर्णतः जप्त कर ली जाएगी तथा निविदा , यदि कोई हो , को स्वीकार की गई सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा ।

आपका धन्यवाद

निविदाकार का नाम

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संगठन की मुहर

दिनांक
स्थान

अनुलग्नक–2

प्रारूपः– निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म का विवरण

1. निविदाकार फर्म का नाम
2. पिता का नाम
3. स्थाई पता मकान क्रमांक
4. गली क्रंमाक
5. स्थान
6. जिला .... पिन कोड........................

1. कार्यालय का पता ....
   ....

2. गली क्रंमाक
3. स्थान
4. जिला .... पिन कोड........................

5. सत्यांकार राशि (ई.एम.डी.) का विवरण :– एफ.डी.आर./बैंक गारंटी/.................................
....
संख्या दिनांक ....
राशि रू. ....
जारीकर्ता बैंक का नाम ....,.............................. शाखा ....
फर्म का जी.एस.टी. नंबर ....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संगठन की मुहर

अनुलग्नक–3

मैं/हम .... जानता हूँ/जानते हैं कि सामग्री की आपूर्ति का दायरा बफरजोन वनमण्डल का संपूर्ण भोगोलिक क्षेत्र (मण्डला एवं बालाघाट जिला) होगा । मैं हम............ .... बफरजोन वनमण्डल के अंदर किसी भी दिए गए स्थान पर आपूर्ति करने के लिए सहमत हैं । मुझे/हमें क्षेत्र,प्रकार,स्तर,दूरी आदि के बारे में कोई आपत्ति नंही है ।

मैने/हम ने काम/आपूर्ति स्थान का पूरी तरह से निरीक्षण किया गया है और निविदा के लिए आवेदन करने से पहले कर्य स्थलों के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हैं सभी स्थितियों को समझते हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

घोषणा

मै... निविदाकार का नाम पिता श्री........................... साकिन ....ग्राम/वार्ड कमांक ....तहसील..................जिला ....यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेंरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है । यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है तो उसके लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार रहूंगा । मैने निविदा दस्तावेज की सभी शर्ते, नियमों और आवश्यकताओं को पढ और समझ लिया है और उसका पालन करने की शपथ लेता हूँ ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक–4

पूर्व –योग्यता मापदण्ड

निविदाकार के पास होना चाहिए :–

1. (किसी भी केन्द्रीय/राज्स सरकार संगठन/विभाग/पी.एस.यू./सार्वजनिक सूचीबद्व कंपनी में) सफलता पूर्वक सामग्री प्रदाय/कार्य आदेश के सफलतापूर्वक निष्पादित करने का अनुभव
2. तीन समान कार्य जिसके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले 3 वित्तीय वर्ष के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 20 % के बराबर राशि से कम नंही है जिसके लिए निविदाकार द्वरा निविदा दी गई है ।

या

3 दो समान कार्य जिनके लिए निविदाकार द्वारा दी निविदा दी गई है जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले तीन वित्तीय वर्षो के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 30% के बराबर राशि से कम नंही है जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है ।

या

3. एक समान कार्य जिसकी कुल लागत पिछले तीन वित्तीय वर्षो के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 50% के बराबर राशि से कम नंही है जिनके लिए निविदा दी गई है अथवा
4. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी एक वित्तीय वर्ष में वन विभाग, म.प्र. में समान मदों *का का कार्य निष्पादन किया गया हौ जो निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों के संभावित राशि के 30% के बराबर राशि से कम नंही होना चाहिए ।
5. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निविदाकार को औषत वार्षिक कारोबार निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के दुगने से कम नंही होना चाहिए

सयुंक्त उद्यम के मामले में कम कारोबार वाली फर्म के कारोबार को उपर्युक्त खण्ड (ii) के तहत मूल्यांकन के लिए माना जाएगा । यदि निविदाकार के गठन/नियमन की तारीख तीन वर्ष से कम पुरानी है तो गठन की तारीख के बाद पूरे हुए वित्तीय वर्षो के संबध में औसत कारोबार को इस मापदण्ड के लिए ध्यान में रखा जाएगा ।

* समान मदों में आयरन पोल की माप एवं साइज को गौड़ मानते हुए मुख्य रूप से आयरन पोल के प्रदाय को ही समान मदों का कार्य समझा जावेगा ।

उप संचालक
बफर जोन वनमण्डल
कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला

अनुलग्रक – 5

स्वीकृति पत्र क्रंमाक

क्र..

प्रति,...

मेसर्स..

(निविदाकार का नाम और पता)

विषयः

प्रिय श्री,.......................................

उपरोक्त कार्य के लिए आपकी बोली मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से मात्रा बिल और उसमें दी गई मदवार दरों के बराबर स्वीकार कर ली गई है। सामग्री का विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं	समग्री का नाम और विवरण	खरीदी जाने वाली मात्रा	स्वीकृत दरें (रूपये में)
1	2	3	4

आप इस पत्र के जारी होने की तारीख 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें:

क. रूपये ....(आंकड़ो में)की निष्पादन सुरक्षा/निष्पादन गांरटी (रूपयें ....केवल शब्दों में)।निष्पादन सुरक्षा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सावधि जमा /बैंक गांरटी की रसीद के रूप में होगी जो वस्तुओं की आपूर्ति के तीन महिने बाद तक वैध होगी,.................
.....के नाम पर प्रतिज्ञा।

ख. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करें।

उप संचालक
बफर जोन वनमण्डल
कान्हा टायगर रिजर्व मण्डला

अनुलग्नक 6
संयुक्त उद्यम(ज्वाइंट वेंचर)

यदि संयुक्त उद्यम की अनुमति दी जाती है। तो निम्नलिखित शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए :

1. साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मो के सयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत निविदाएँ आवश्यकताओं को पूरा करेंगी:

क. भागीदारी में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामित किया जाएगा, और इस प्राधिकरण के सभी भागीदारों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जाएगा,

ख. निविदा और, सफल निविदा के मामले में, समझौते पर हस्ताक्षर किये जाएंगे। ताकि यह सभी भागीदारी पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो,

ग. प्रभारी भागीदारी को संयुक्त उद्यम के किसी भी और सभी भागीदारों के लिए और उनकी और से देयताओं को वहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाएगा और भुगतान सहित अनुबंध का पूरा निष्पादन विशेश रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जाएगा,

घ. संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और अलग–अलग उत्तरदायी होंगे, और इस आशय का एक कथन ऊपर (सी) के तहत उल्लिखित प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा, साथ ही निविदा में और अनुबंध में (सफल निविदा, के मामलें में),

ङ. संयुक्त उद्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में सयुंक्त उद्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। अनुबंध की अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की नि पादन में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे बाद में बदला/संशोधित नहीं किया जाना चाहिएं,

च. संयुक्त उद्यम समझौते की पंजीकृत किया जाना चाहिए, ताकि यह कानूनी रूप से वैध हो और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो, और

छ. भागीदारो द्वारा किए गए संयुक्त उद्यम समझौते की एक प्रति निविदा के साथ प्रस्तुती की जाएगी।

2. निविदा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता मानदंडो के साथ निविदाकार निष्पादन को निर्धारित करने के लिए संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदार के आंकड़े एक साथ जोड़े जाएंगे। सभी भागीदारों को सामूहित रूप से निर्दिश्ट मानदंड़ो को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3. संयुक्त उद्यम की निष्पादन सुरक्षा साझेदार प्रमुख साझेदार /संयुक्त उद्यम के नाम पर होगीं ।
4. संयुक्त उद्यम की ओर से निविदा हस्ताक्षरकर्ता(यों) को अधिकृत करने वाले साझेदारों की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्र करें।
5. संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों के बीच हुए समझौते को संलग्र करें (और जो सभी साझेदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, जो निविदाकारों के लिए निर्देशों में दर्शाई गई आवश्यकताओं को दर्शाता है।
6. संयुक्त उद्यम में भागीदारी का विवरण नीचे दिए अनुसार प्रस्तुत करें:

क्रमाक	भागीदारी विवरण	फर्म "ए" (प्रमुख भागीदार)	फर्म "बी"	फर्म "सी"

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक 7
एगिंल आयरन पोल निविदा में
(अनुबंध प्रारूप)

यह अनुबंध ,दिनांक_ को वनमण्डल अधिकारी_ जिला (म्र.प्र.) (निविदाकर्ता का नाम और पता)(जिसे आगे 'निविदाकर्ता'' कहा जाएगा) और मेसर्स_ (निविदाकार का नाम और पता) जिसे आगे ''निविदाकार '' कहा जाएगा, के बीच दूसरे पक्ष के लिए किया गया है।

जबकि निविदाकर्ता चाहता है कि निविदाकार वनमण्डल अधिकारी _म्र.प्र. (अनुबंध का नाम और पहचान संख्या) (जिसे आगे ''कार्य '' कहा जाएगा) द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति निश्पादित करे और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बोली को स्वीकार कर लिया है।

अब यह अनुबंध इस प्रकार प्रमाणित होता है:

1. इस अनुबंध में शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुबंध की शर्तो में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है और उन्हें इस अनुंबध के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा।

2. निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को किए जाने वाले भुगतानों के विचार में, जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, निविदाकार अनुबंध के प्रावधानों के साथ सभी पहलुओं में अनुरूपता में कार्य निश्पादित और पूरा करने के लिए निविदकर्ता के साथ अनुबंध करता है।

3. निविदाकर्ता अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुंबध मूल्य या ऐसी अन्य राशि जो अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है, के नि पादन और पूरा होने के विचार में निविदाकार को भुगतान करने के लिए अनुबंध करता है।

4. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के भाग के रूप में तैयार और समझा जाएगा अर्थात
   I. स्वीकृति पत्र
   II. निविदाकारों को निर्देश
   III. अनुलग्रह 1 से 3
   IV. बिल की मात्रा(BOQ) और
   V. निविदा दस्तावेज में सूचीबद्व कोई अन्य दस्तावेज जो अनुबंध का हिस्सा है।

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस समझौते को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निश्पादित किया है।

सामान्य मुहर
.इस पर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई गई थी:
1............................
2.......................................

उक्त_ द्वारा हस्ताक्षरित,मुहरबंद और परिदत्त_ की उपस्थिति में:

वनमण्डल अधिकारी
_बफरजोन वनमण्डल (म्र.प्र.)

निविदाकार के बाध्यकारी हस्ताक्षर

एंगल आयरन पोल्स स्पेसिफिकेशन

सामग्री का नाम	स्पेसिफिकेशन		अनुमानित मात्रा
ANGLE IRON POLE	Type	- Straight/Bend	6000 नग अनुमानित.
	Length	- As per Order	
	Size of Angle	- 65mm x 65mm x 5mm	
	Approx. weight	- 4.9 KG per MTR	
	No. of holes	- 8 of 10mm dia	
	Discription/Location of Holes	FOR POLE LENTH 10 FEET - LENTH OF BEND PORTION SHALL BE 18" FOR BEND TYPE OF POLES,. THE ANGLE OF BEND SHALL BE 45 DEG.AND IDENTICAL IN ALL PIECES. THE POLES SHALL BE SPLIT 12" FROM BOTTOM. IN THE POLES HOLES OF 10MM DIA SHALL BE DRILLED THE LOCATION OF HOLES SHALL BE MEASURED FROM THE TOP ALONF THE LENGTH OF POLES. HOLE OF 10MM DIA AT EVERY 9" DISTANCE FROM EACH OTHER ON THE BENDEDPORCTION OF THE POLE,AND HOLE OF 10 MM DIA AT EVERY 18" INCHS DISTANCE FROM EACH OTHER ON THE STRAIGHT PORTION OF THE POLE. THE POLE SHALL BE PAINTED WITH TWO COATS OF RED OXIDE PAINT	

उप संचालक
बफर जोन वनमण्डल
कान्हा टायगर रिजर्व मण्डला